



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2010/अग्रहायण 17, 1932

No. 312]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2010/AGRAHAYANA 17, 1932

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2010

सं भा. आ. प. 18(1)/2010-मेडि./45048.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

खण्ड 'क' में एम डी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) शीर्षक के अन्तर्गत, संक्रामक रोगों के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

* एमडी (पेलिएटिव मेडिसिन)

* मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (जानपदिक रोग विज्ञान)

खण्ड 'ख' में एम एस (मास्टर ऑफ सर्जरी) शीर्षक के अन्तर्गत, प्रसूति तथा स्त्री रोग के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :

* एम एस (अभिघात व शल्य चिकित्सा)

खण्ड 'ग' में डी एम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) शीर्षक के अन्तर्गत, हृदय संचेतनाहरण के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

* डी एम (अंग प्रत्यारोपण संचेतनाहरण व सघन देखभाल)

* डी एम (सघन देखभाल चिकित्सा)

* डी एम (बाल यकृत रोग)

* डी एम (न्यूरो संचेतनाहरण)

* डी एम (पीडिएट्रीक्स नेफ्रोलॉजी)

* डी एम (रिप्रोडक्टिव मेडिसिन)

* डी एम (संक्रामक रोग)

* डी एम (विरोलॉजी)

* डी एम (बाल ऑनकोलॉजी)

* डी एम (जेरियाट्रिक मानसिक स्वास्थ्य)

खण्ड 'घ' में एम सी एच (मास्टर ऑफ चिरुर्गी) शीर्षक के अन्तर्गत, "बाल हृदय-वक्ष शल्य चिकित्सा" के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

* एम सी एच (हैण्ड सर्जरी)

खण्ड 'ङ' में विकिरण चिकित्सा के पश्चात् डिप्लोमा (डीआरएम) शीर्षक के अन्तर्गत, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

* एलजी व क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी में डिप्लोमा

खण्ड 'च' (डिप्लोमा) के पश्चात्, 'छ' शीर्षक के अन्तर्गत, नया खण्ड जोड़ा जाएगा :

छ. निम्नलिखित विषयों में पोस्टडॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स (पीडीसीसी) :—

1. हृदय-संचेतनाहरण में पीडीसीसी
2. तंत्रिका-संचेतनाहरण में पीडीसीसी
3. अंग प्रत्यारोपण में पीडीसीसी
4. पीडिएट्रीक्स एण्डोक्रीनोलॉजी में पीडीसीसी
5. क्रिटीकल केयर मेडिसिन में पीडीसीसी
6. पीडिएट्रीक्स गेस्ट्रोएण्टेरोलॉजी में पीडीसीसी
7. लेबोरेट्री इम्यूनोलॉजी में पीडीसीसी
8. संक्रामक रोग में पीडीसीसी
9. न्यूक्लीयर नेफ्रोलॉजी में पीडीसीसी
10. रेनल पैथालॉजी में पीडीसीसी
11. गेस्ट्रो-रेडियोलॉजी में पीडीसीसी
12. न्यूरो-रेडियोलॉजी में पीडीसीसी

- | | |
|--|--------------------------------|
| 13. एफेरेसिस टेक्नोलॉजी तथा ब्लड कम्पोनेंट थेरेपी में पीडीसीसी | * DM (Reproductive Medicine) |
| 14. पैन मैनेजमेंट में पीडीसीसी | * DM (Infectious Disease) |
| 15. हेमेटो-ऑनकोलॉजी में पीडीसीसी | * DM (Virology) |
| 16. पीडिएट्रीक्स एण्डोक्रोनोलॉजी में पीडीसीसी | * DM (Paediatric Oncology) |
| 17. पीडिएट्रीक्स ईएनटी में पीडीसीसी | * DM (Geriatric Mental Health) |
| 18. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में पीडीसीसी | |
| 19. स्पाइन सर्जरी में पीडीसीसी | |

डॉ. पी. प्रसन्नाराज, अपर सचिव

[सं. विज्ञापन III/4/100/10/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः “स्नातकोत्तर चिकित्सा विनियमावली, 2000” को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड IV में दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को प्रकाशित किया गया था और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006, 20-10-2008, 25-3-2009, 21-7-2009, 17-11-2009, 9-12-2009 और 16-4-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2010

No. MCI. 18(1)/2010-Med./45048.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, namely :—

In Clause ‘A’ under the heading MD (Doctor of Medicine), the following shall be added after Infectious Diseases :

- * MD (Palliative Medicine)
- * Master of Public Health (Epidemiology)

In Clause ‘B’ under the heading MS (Master of Surgery), the following shall be added after Obstetric and Gynaecology :—

- * MS (Traumatology & Surgery)

In Clause ‘C’ under the heading DM (Doctor of Medicine), the following shall be added after Cardiac Anaesthesia :—

- * DM (Organ Transplant Anaesthesia & Critical Care)
- * DM (Critical Care Medicine)
- * DM (Paediatric Hepatology)
- * DM (Neuro-Anaesthesia)
- * DM (Paediatric Nephrology)

In Clause ‘D’ under the heading M.Ch. (Master of Chirurgie), the following shall be added after “Paediatric Cardio-Thoracic Vascular Surgery” :—

- * M.Ch. (Hand Surgery)

In Clause ‘F’ under the heading Diplomas after Radiation Medicine (DRM), the following shall be added :—

- * Diploma in Allergy & Clinical Immunology.

After the Clause ‘G’ (Diplomas), a new Clause under the heading ‘H’ shall be added :—

H. Post-doctoral Certificate Courses (PDCC) in the following subjects :—

1. PDCC in Cardiac-Anaesthesia
2. PDCC in Neuro-Anaesthesia
3. PDCC in Organ Transplant Anaesthesia
4. PDCC in Paediatric Endocrinology
5. PDCC in Critical Care Medicine
6. PDCC in Paediatric Gastroenterology
7. PDCC in Laboratory Immunology
8. PDCC in Infectious Diseases
9. PDCC in Nuclear Nephrology
10. PDCC in Renal Pathology
11. PDCC in Gastro-Radiology
12. PDCC in Neuro-Radiology
13. PDCC in Aphaeresis Technology and Blood Component Therapy
14. PDCC in Pain Management
15. PDCC in Haemato-Oncology
16. PDCC in Paediatric Endocrinology
17. PDCC in Paediatric ENT
18. PDCC in Interventional Radiology
19. PDCC in Spine Surgery

Dr. P. PRASANNARAJ, Addl. Secy.

[No. ADVT. III/4/100/10/Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 7th October, 2000, and amended *vide* MCI notification dated 03-03-2001, 06-10-2001, 16-03-2005, 23-03-2006, 20-10-2008, 25-03-2009, 21-07-2009, 17-11-2009, 09-12-2009 and 16-04-2010.